GST
Opportunities and Challenges
वस्तु एवं सेवा कर संभावनाए एवं चुनौतियाँ

Editor :

Prof. Sunita Jain

GST
Opportunities And Challenges
वस्तु एवं सेवा कर संभावनाए एवं चुनौतियाँ

Editor :

Prof. Sunita Jain

Co-Editor :

Prof. Neeraj Topkhane

SVN PUBLISHING HOUSE

Book Version-978-81-929700-2-8

Published by:
Swami Vivekanan University , Sagar

GST Opportunities and Challenges

-Prof. Sunita Jain

FOURTH EDITION 2018

ISBN- 978-81-929700-2-8

Printed By
Swatantra Computer & Printers
Itwari Ward, Sagar(MP.)
Ph.07582-243728 Mob.9981466528

CONTENTS

1. जी.एस.टी. : कितना लाभकर — 1
   – डॉ. शोभा जैन
   – डॉ. अशोक गर्ग
2. भारतीय अर्थव्यवस्था में जी.एस.टी. की उपयोगिता एवं प्रभाव — 6
   – डॉ. सुनीता जैन
   – डॉ. गिरीश मोहन दुबे
3. जीएसटी – भारतीय अर्थव्यवस्था में एक आर्थिक सुधार — 17
   – डॉ. श्रीमती शक्ति जैन
4. जी.एस.टी. की अवधारणा एवं विशेषताएं — 26
   – डॉ. बिन्दु श्रीवास्तव
5. भारत में वित्तीय क्षेत्र में नवाचार एवं उसके प्रभाव (जी.एस.टी. के विर्शेष संदर्भ में) — 33
   – डॉ. सविता जैन
6. राजस्व वृद्धि का रामबाण उपाय जी.एस.टी. — 37
   – डॉ. असलम खॉन
7. वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.): प्रभाव (विश्लेषात्मक अध्ययन) — 44
   – डॉ. डी. एन. नामदेव
   – डॉ. अमित कुमार तिवारी
8. जीएसटी : एक सकारात्मक बदलाव — 49
   – डॉ. खुदैजा परवीन अंसारी
9. भारतीय अर्थव्यवस्था के परिदृश्य में वस्तु एवं सेवा कर — 56
   – डॉ. वीरेन्द्र सिंह मटसेनियां
   – डॉ. हरिनारायण विश्वकर्मा
10. भारतीय बीमा क्षेत्र में जीएसटी का प्रभाव — 63
   – अनुराधा चौरसिया
11. संगठित क्षेत्र की उद्यमी महिलाओं पर जीएसटी का प्रभाव — 72
   – कु. सुजाता परी अहिरवार
12. GST: One Nation & One Tax — 77
   - Prof. Dr. Narendra Kumar Thapak
   - Mr. Nishant Dubey
13. Basic Concepts And Features Of Goods And Services Tax In India (GST) — 85
   - Dr. Harsh Singh
14. Goods and Services Tax in India — 92
   - Dr. Rupali Saini

भारतीय अर्थव्यवस्था के परिदृश्य में वस्तु एवं सेवा कर

डॉ. वीरेन्द्र सिंह मटसेनियां *
डॉ. हरिनारायण विश्वकर्मा **

सारांश

भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व मानचित्र पर तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनती जा रही है, और इसके संबंध अनेक विकसित देशों से घनिष्ठ होते जा रहे हैं, इसके चलते हमारी अर्थव्यवस्था भी अपने आप को अद्यतन करने में प्रयासरत है, इसी का परिणाम है कि आज भारत देश में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया जा सका है, जिसका लाभ देश के सभी वर्गो को मिलेगा ऐसी आशा हम इस व्यवस्था से लगा रहे है। इस व्यवस्था से पूर्व जहां भारत में अप्रत्यक्ष करों की लंबी सूची थी, जिसके कारण करों का दोहरीकरण का बोझ उठाना पडता था और इसका भार अंतिम रूप से उपभोक्ता को सहन करना पडता था, लेकिन अब वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से अर्थव्यवस्था के सभी वर्गो को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा।

आधारवाक्य – भारतीय अर्थव्यवस्था, वस्तु एवं सेवा कर, कर संरचना।

प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व मानचित्र पर तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। पिछले तीन दशकों की बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था ने तेजी से विकास किया है। इस कारण सरकार की भूमिका में भी तेजी से वृद्वि हुई है। इस भूमिका को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए सरकार को अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता होती है, सरकार को अपनी आय के साधनों पर भी विचार करना होता है। कर किसी भी सरकार की आय का प्रमुख स्रोत होता है। कर एक अनिवार्य अंशदान के रूप में होता है जो न चाहते हुए भी व्यक्ति को कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में वहन करना ही पड़ता है। इस दृष्टि से कर संरचना ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्तियों कम से कम तकलीफ हो। वस्तु एवं सेवा कर एक व्यापक बहुस्तरीय कर प्रणाली है, जिसको सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को समाहित करके बनाया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत की वर्तमान जटिल कर संरचना में परिवर्तन करना है। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से देश में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होगा।

वस्तु एवं सेवा कर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वस्तु एवं सेवा कर के इतिहास के बारे में देखें तो पता चलता है कि 1954 में सबसे पहले फ्रांस ने वस्तु एवं सेवा कर को अपनाया। इसके बाद यूरोपीय देशों ने 70–80 के दशक में इसे अपना लिया। न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्राजील, कनाडा, मलेशिया आदि देशों में भी वस्तु एवं सेवा कर को सफलतापूर्वक लागू किया गया। वर्तमान में लगभग 140 से ज्यादा देशों में वस्तु एवं सेवा कर लागू हो चुका है।

वस्तु एवं सेवा कर का अर्थ

वस्तु एवं सेवा कर एक व्यापक बहुस्तरीय कर ढांचा है, जो सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों का एकीकरण है, अर्थात् यह एक एकल कर है, जो कि वस्तु के वनिर्माण से लेकर उपभोक्ता के पास पंहुचने तक एक ही बार लगाया जाएगा।

राज्य के लिए कर का महत्व

राज्य का अस्तित्व ही सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है, जो स्वयं राज्य के बजट के आकार पर निर्भर करती है, और बजट के आकर को राज्य के कर योग्य स्रोत प्रभावित करते हैं, अतः राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु एक कुशल राजकोषीय नीति की आवश्यकता होती है। यह नीति स्वयं कर ढांचे पर निर्भर करती है, अतः राज्य के लिए कर के महत्व को शब्दों में वर्णित किया जा सकता, इसलिए प्रत्येक सरकार यह चाहती है कि राज्य को मिलने वाला कर शत् प्रतिशत् प्राप्त हो जिससे वह विकास के कार्यों को सही ढंग से संचालित कर सके।

शोधपत्र के उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

- वस्तु एवं सेवा कर की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करना।
- वस्तु एवं सेवा कर के फायदे एवं नुकसानों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
- अर्थव्यवस्था के लिए वस्तु एवं सेवा कर की उपयोगिता का अध्ययन करना।

वस्तु एवं सेवा कर की प्रमुख विशेषताएं

- वस्तु एवं सेवा कर एक एकीकृत कर प्रणाली है।

ISBN - 978-81-929700-2-8

- वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत लेन–देन की प्रक्रिया केवल इलेक्ट्रानिक्स माध्यम से की जाएगी।
- वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत करदाताओं को 60 दिन के भीतर निर्धारित अनुदान का रिफंड प्रदान करने की व्यवस्था है।
- भारत में संघीय ढ़ांचे को बनाए रखने के लिए वस्तु एवं सेवा कर दो स्तर पर लगेगा– केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर और राज्यीय वस्तु एवं सेवा कर।
- वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्त होने वाली आय को केन्द्र एवं राज्यों के बीच बराबर बराबर अनुपात में वितरित की जाएगी।

भारत में वस्तु एवं सेवा कर की भूमिका

वर्तमान में भारतीय कर ढ़ांचा बहुत ही जटिल है, अर्थात् भारतीय कर प्रणाली बहुत ही उलझी हुई है। वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केन्द्र सरकार को है, तो वहीं उनकी बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। साथ ही साथ करों की संख्या इतनी अधिक है कि आम व्यक्ति के लिए ये समझ पाना अत्यन्त कठिन हो जाता है कि वह किसे कर दे रहा है। उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कम्पनियों एवं व्यवसायियों के लिए विभिन्न प्रकार के कानूनों का पालन करना पडता है। इसके साथ ही वर्तमान कर व्यवस्था में कर के ऊपर कर लगने से वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं जिससे उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमतें चुकानी पडती हैं। इन सभी जटिलताओं से मुक्ति पाने के लिए एवं उपभोक्ताओं और उत्पादकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए एक एकीकृत कर प्रणाली अपनाने की आवश्यकता महसूस की गई। इस संदर्भ में भारत सरकार ने संविधान में 122 वें संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 से देश में एक ही प्रकार का कर लागू करने की घोषणा की।

भारत में वस्तु एवं सेवा कर के स्लैब

भारत में वस्तु एवं सेवा कर के चार प्रमुख स्लेब बनाए गये हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। अर्थव्यवस्था में उपभोग की जाने बहुत सी आवश्यक वस्तुओं को वस्तु एवं सेवा कर में छूट दी गई है, जैसे–दूध, दही, आटा फल–सब्जियां, बेसन, न्यायिक दस्तावेज, नमक आदि, जबकि लग्जरी एवं मंहगे सामान पर वस्तु एवं सेवा कर के अतिरिक्त सेस भी लगेगा।

ISBN - 978-81-929700-2-8

- **5% के दायरे में आने वाली वस्तुएं**– चाय–कॉफी, खाने का तेल, सोयाबीन, कैरोसिन, घरेलू उपभोग में आने वाली एलपीजी, काजू–किशमिश, ब्राण्डेड पनीर, हैण्डपम्प, तांबे के बर्तन, अगरबत्ती आदि।
- **12% के दायरे में आने वाली वस्तुएं**– नमकीन, बायोगैस, मोमबत्ती, ट्रेक्टर, चश्में के लैंस, खेल का सामान, साइकिल, मोबाइल फोन आदि।
- **18% के दायरे में आने वाली वस्तुएं**– बालों का तेल, साबुन, हेलमेट, जैम–जैली प्रिंटर, कम्प्यूटर, टॉयलेट पेपर, मिनरल वॉटर आदि।
- **28% के दायरे में आने वाली वस्तुएं**– प्यानों, मोटर साईकिल, दीवार का पेंट, सेविंग क्रीम, चमडे के बैग, मेकप सामान, मोटर कार, पानमसाला, चाकलेट आदि।

वस्तु एवं सेवा कर के प्रमुख लाभ

- वस्तु एवं सेवा कर एक एकीकृत कर व्यवस्था है, जिसमें विभिन्न प्रकार के करों को समाहित किया गया है, परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के कर समाप्त हो जाएगें और वर्तमान कर ढांचा अधिक सरलीकृत हो जाएगा।
- वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था से उत्पादन लागतों में कमी आएगी जिसका प्रत्यक्ष लाभ निवेशकों को होगा, जिससे वे उत्पादन को बढाने में सफल होगें परिणामस्वरूप देश के सकल घरेलू उत्पाद बढेगा।
- वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था से बढे हुए उत्पादन का लाभ उपभोक्ता वर्ग को प्राप्त होगा, जिससे उनका उपभोग का स्तर बढेगा।
- वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की दर एक होने के कारण सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में एक समान कर व्यवस्था लागू होगी।
- वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत सभी कार्य ऑनलाइन किये जाएगें जिससे कर एकत्रीकरण में पारदर्शिता आयेगी, साथ ही अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी।
- अप्रत्यक्ष कर के एकत्रीकरण में लगे अधिकारियों की संख्या में कमी आयेगी जिसका लाभ सीधे देश की अर्थव्यवस्था को होगा। ?
- वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था ऑनलाइन होने से पर्यावरणीय क्षति कम होगी, क्योंकि कागजों का होने वाला उपयोग कम होगा।

वस्तु एवं सेवा कर का मिला जुला प्रभाव

- **आम लोगों पर प्रभाव**– हालाकि अप्रत्यक्ष करों का बोझ अंतिम रूप से उपभोक्ता हो ही उठाना पडता है, एक ही वस्तु पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग कर लगते हैं, सरकार के अनुसार विभिन्न करों के कारण अभी लगभग 30 से 35 प्रतिशत करों का भुगतान करना पडता है, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से एक ही प्रकार का कर लगेगा, जिससे उन्हें लगभग 20 प्रतिशत तक ही टैक्स देना होगा। इससे उनकी बचत में वृद्धि होगी। हालाकि सेवाओं जैसे क्रेडिट कार्ड, फोन आदि के दाम बढ सकते हैं।
- **व्यवसाय पर प्रभाव**– वर्तमान में व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करना पडता है, साथ ही उन्हें विभिन्न प्रकार के कानूनों का पालन करना पडता है, जो बहुत ही जटिल कार्य है। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से उन्हें सिर्फ एक ही प्रकार के कर का सामना करना पडेगा। छोटे व्यापारियों पर थोडा सा बोझ बढेगा, क्योंकि कम्प्यूटर से अनजान छोटे कारोबारियों को हम महीने रिटर्न भरने का खर्चा उठाना होगा।
- **किसानों पर प्रभाव**– किसानों को वस्तु एवं सेवा कर से थोडी सी राहत मिलेगी क्योंकि कृषि क्षेत्र को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन विभिन्न खाद्यान्नों से बनने वाले उत्पादों को इसके दायरे में रखा गया है। वहीं ट्रैक्टर, कलपुर्जों, कीटनाशकों पर टैक्स बढनें से कृषि लागत में वृद्धि होने की संभावना है।
- **स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव**– हालाकि केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से बाहर रखा है, अर्थात् डाक्टरों की फीस, क्लीनिक पर कोई कर नहीं लगेगा, लेकिन दवाओं मेडीकल उपकरणों पर कर लगेगा।

वस्तु एवं सेवा कर की कठिनाईयां

भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसी विभिन्न चुनौतियां है, जो वस्तु एवं सेवा कर की राह में बाधा के रूप में सामने आ सकती हैं।

- **जटिल प्रक्रिया**– वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली इतनी जटिल है कि आम व्यवसायी को आसानी से समझ पाना काफी मुश्किल हो रहा है, जिस वजह से उसे इस व्यवस्था को समझने के लिए विशेषज्ञों का परामर्श लेना पड रहा है।

ISBN - 978-81-929700-2-8

- **अशिक्षा**– भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा का स्तर अभी भी काफी कम है, जिस वजह से लोगों को वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को समझने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जिससे अर्थव्यवस्था में व्यवसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रहीं हैं।
- **तकनीकि ज्ञान का आभाव**– भारत के अधिकांश व्यावसायी, उत्पादक, उपभोक्ता तकनीकि रूप से सक्षम नहीं हैं इसलिए वे तकनीकि अडचनों को समझ नहीं पा रहे हैं और इस व्यवस्था को अपनाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं।

आधारभूत साधनों का आभाव– आज भी हमारा देश दो भागों में बंटा हुआ है, एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ इण्डिया। जहां भारत में आधारभूत संचार के साधनों का पूर्ण आभाव है, वहीं दूसरी ओर इण्डिया में इनकी बेहतर स्थिति है, जोकि दोहराव की स्थिति को स्पष्ट करता है और वस्तु एवं सेवा कर के मार्ग में कठिनाई उत्पन्न कर रहा है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वस्तु एवं सेवा कर आज हमारे देश की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है, जिसको अपनाना हमारी जरूरत भी है और मजबूरी भी, क्योंकि विश्व के अधिकांश विकसित देश इस व्यवस्था को अपनाकर ही अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती की ओर ले जाने में सझम हो रहे हैं। इसलिए हमें वस्तु एवं सेवा कर के महत्व को समझ कर इसको ईमानदारी से अपनाने की आवश्यकता है। फिर भी आज हमें अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को अपनाना एक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय दिखाई देता है, क्योंकि आज हमारे पास इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक संसाधनों की कमी है।

सुझाव– हमारा देश एक विकासशील देश है, जो कि पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है, जिस कारण से आधारभूत संरचनाओं का आभाव है, अतः हमें सबसे पहले इसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। साथ ही हमें देश के नागरिकों को इस क्षेत्र में तकनीकि रूप से साक्षर करने की भी आवश्यकता है, जिससे वे इस व्यवस्था में आने वाली कठिनाईयों का सामना कर सकें, एवं इस व्यवस्था को सफल बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें।

ISBN - 978-81-929700-2-8

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

- लाल एण्ड लाल : भारतीय अर्थव्यवस्था, सवेक्षण एवं विश्लेषण, शिवम पब्लिकेशन, इलाहाबाद, (उ.प्र.)
- ओझा शिवकुमार, भारतीय अर्थव्यवस्था, बौद्विक प्रकाशन इलाहाबाद, (उ.प्र.).
- Kumar, A (2015). Macroeconomic aspects of goods and services tax, Economic & Political Weekly ISSN online 2349-8846 Vol. 50.No. 29, pp 26-30.
- Das, S. (2017) Some Concerns Regarding the goods and Services Tax. Economic & Political Weekly. ISSN 2349-8846 Vol.52, Issue No. 9.
- Dani, S. (2016) A Research Paper on an Impact of Goods and Service Tax (GST) on Indian Economy. Business and Economics Journal Business and Economic. Impact factors 7:4 DOI: 10.4172/2151-6219.1000264.
- Patnaik, Prabhat (2016). A blow against federalism: The Implications of a Uniform Goods and Services Tax, Economic &Political Weekly. ISSN 2349-8846 , Telegraph, 28 June.